राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1510/2015/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, वृत–अ, उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अमरदीप सेरेमिक,
कमल निवास, भुवाणा, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता .....राजस्व की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 95/वेट/14–15/उदयपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.07.2013 के जरिये कर रुपये 42,600/–, ब्याज 78,810/– क़ो विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी ने अपना व्यवसाय दिनांक 31.03.2001 से बन्द कर दिया था। व्यवहारी ने व्यवसाय बन्द करते समय अंतिम स्टॉक 3,55,000/– बताया। जिसका विवरण लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया। यह भी स्पष्ट था कि माल कर योग्य था और व्यवसाय बन्द हो जाने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु व्यवहारी द्वारा निवेदन किया गया। चूंकि व्यवहारी द्वारा पंजीयन निरस्त किया गया इस कारण कर योग्य माल पर कर व ब्याज का आरोपण किया गया। जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुये विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

लगातार.....2

5. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निर्णय दिया है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपना व्यवसाय 31.03.2001 को बन्द कर दिया था एवं उस संबंध में शपथ पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर यह बताया कि अंतिम स्टॉक में उपलब्ध माल बिक्री योग्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उस माल पर बिना किसी जांच के कर आरोपण नहीं किया जा सकता एवं जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। अपीलीय अधिकारी का उक्त निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आलोक में विधिसम्मत है एवं कर निर्धारण अधिकारी को उचित जांच के बाद पुनः कर निर्धारण करने के जो आदेश दिये गये है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

6. उपरोक्त विश्लेषण और विवेचन के अनुसार राजस्व की अपील अस्वीकार करते की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

8/5/2017

(के.एल.जैन)

सदस्य